

भाग— III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

11 केवली. विद्युत लाईन मजरा टोला अर्जुन फाल्या युरम्या में विद्युत लाईन का विस्तार कार्य हेतु
(वनमण्डल खरगोन 0.105 हे.)

प्रस्ताव क्रमांक- FP/MP/VELLC/154524/2022

14.	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो, निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15.	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- II में दी गई सूचना हाँ, सहमत है। और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ?	
16.	प्रस्ताव की रचीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की रचीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल खरगोन की अनुशंसा के आधार पर 0.105 हेक्टर वनभूमि आवेदक विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

तिथि – 16/03/2023

स्थान – खण्डवा

(आर.पी.संघ)

मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

15/03/23